न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2010 जिला–अशोक नगर

R – 1376 – I / 2010

कल्याण सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह निवासी– ग्राम बमनाई तहसील व जिला अशोक नगर (म.प्र.) ..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर अशोक नगर ..... अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 553/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09.07.2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम बमनाई सोनेरा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 78/2 रकबा 1.254 हेक्टेयर पर आवेदक का विगत कई वर्षों से कास्त करके कब्जा चला आ रहा था और इसी कारण तहसीलदार अशोक नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 244/93–94/अ–19 पंजीबद्ध कर अपने आदेश दिनांक 05.10.1994 द्वारा आवेदक के हित में दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना सन् 1984 दखल रहित अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदक के हित में भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये गये थे।

2– यहकि, तहसीलदार अशोक नगर के आदेश के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की गई थी। अतः इस कारण उक्त आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया था। अपीलीय आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण ग्राह्य योग्य नहीं है।

3– यहकि, उक्त प्रकरण को अपर कलेक्टर अशोक नगर द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया जाकर प्रकरण क्रमांक 222/99–2000 पंजीबद्ध किया गया। उक्त प्रकरण में आवेदक को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना ही अपने आदेश दिनांक 28.03.2000 द्वारा आवेदक के हित में भूमि स्वामी अधिकारों का जो पट्टा तहसीलदार अशोक नगर द्वारा दिया गया था उसे बिना किसी कारण के अपास्त किया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1376/एक/2010 जिला–अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6–12–2016	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 553/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09.07.2010 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि बमनाई सोनेरा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 78/2 रकवा 1.254 है0 पर आवेदक का विगत कई वर्षो से कास्त करके कब्जा चला आ रहा था। इस कारण तहसीलदार अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 244/1993–94/अ–19 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 05.10.1994 द्वारा आवेदक के हित में दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना सन् 1984 दखल रहित अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदक के हित में भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश को अपर कलेक्टर, अशोकनगर द्वारा स्वमेव निगरानी में द्वारा प्रकरण क्रमांक 222/1999–2000 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 28.03.2000 को पट्टा निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 553/09–10 प्रस्तुत की गयी जो पारित आदेश दिनांक 09.07.10 से निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।	

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि लम्बे समय पश्चात् व्यवस्थापन को शून्य किये जाने बावत स्वमेव निगरानी की कार्यवाही की गयी, जबकि पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है, जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही के युक्तियुक्त समय के भीतर की जानी चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधीश एस.के. गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित बनाम म0प्र0 राज्य एवं एक अन्य रैवेन्यू निर्णय 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर, ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उल्लेख किया है, अतः उन्होंने आवेदक को किया गया व्यवस्थापन स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर, अशोकनगर एवं अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

5– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर, अशोकनगर द्वारा आवेदक को आदेश दिनांक 05.10.1994 में

कब्जा न होने के आधार पर स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 1994 में किया गया है एवं प्रस्तावित कार्यवाही वर्ष 2000 में प्रारम्भ की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाता हूं, अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर, अशोकनगर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूं।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2000 एवं अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2010 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है तथा तहसीलदार अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 244/1993—94/अ—19 में पारित आदेश दिनांक 05.10.1994 स्थिर रखा जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार अशोकनगर को दिये जाते है। निगरानी स्वीकार की जाती है तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

सदस्य